न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

र्थना पत्र संख्या–36/2018

र्थना पत्र प्रविष्टि दिनांक–28.05.2018

र्णय दिनांक–28.11.2024

गणेश पुत्र हजारी जाति जाट निवासी ग्राम तहरपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थी

बनाम

घीसी पत्नि चतुरर्भुज जाति जाट निवासी ग्राम राधाकिशनपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

शंकर पुत्र हजारी जाति जाट निवासी ग्राम तहरपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

रामराज पुत्र हजारी जाति जाट निवासी ग्राम तहरपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

तहसीलदार पीपलू

प्रतिपक्षीगण

धिवक्ता प्रार्थी–श्री शंकरलाल चौधरी

धिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01–श्री कैलाश चौधरी

वाद बाबत् तकास्मा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 75, 89, 34, 140 कुल किता 04 कुल रकबा 08–08 बीघा वाके ग्राम राधाकिशनपुरा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/3 हेस्सा है, जो हिस्से अनुसार मोके पर काबिज है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात संयुक्त पैत्तृक अविभाजित आराजीयात है। जिसका आज दिन तक कोई तकास्मा व बंटवारा नही हुआ है। उक्त आराजीयात अविभाज्य होने के कारण प्रत्येक सहकृषक का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है। इस प्रकार उक्त अविभाज्य आराजीयात में प्रार्थी का हिस्सा अविभाजित है। किसी भी पक्षकार का हिस्सा विधि अनुसार विभाजित नही हुआ है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त पैत्तृक भूमि है। जिसका आज दिन तक तकास्मा नही हुआ है। मौके पर बाहमी रूप से मौके

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with ACE Scanner

बंटवारा कर रखे है और बाहमी बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के अपने हक हिस्से पर बहैसियत तेदार मालिक, स्वामी के काबिज खातेदार चले आ रहे है। उपरोक्त आराजीयात का प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य पस में विधिवत् रूप से तकासमा नही होने के कारण उक्त आराजीयात के सीमाओ में प्रार्थी व अप्रतिवादीगण के य विवाद होता रहता है। उपरोक्त आराजीयात का प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आपस में विधिवत् रूप से ासमा नही होने के कारण उक्त आराजीयात के सीमाओ में प्रार्थी व प्रतिपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। लिए उक्त आराजी में से प्रतिपक्षीगण बिना तकासमा कराये रहन, दान, बेचान एवं खुर्द बुर्द करने पर आमादा यदि प्रतिपक्षीगण बिना विधिवत् तकास्मा के यदि रहन, दान, बेचान एवं खुर्द बुर्द करते है, तो प्रार्थी को अपार अपरिमित नुकसान होगा और इससे वह अपने जायज हक से महरूम रह जायेगा। मौके पर लडाई झगडा होने संभावना प्रबल हो गई है। इस कारण वादग्रस्त भूमि का विधिवत् तकास्मा किया जाना आवश्यक एवं यसंगत हो गया है। इस कारण अविभाजित संयुक्त खातेदारी की भूमियो का बतोर राजस्व रिकॉर्ड के अंकन धिवत् तकासमा कराया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्ट्या सुदृढ है तथा सुविधा का संतुलन व पूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण केक पक्ष में प्रबल सिद्ध है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से बन्द किया जावे की वे स्वयं जरिये, एजेन्ट, नौकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दीगर व्यक्ति के द्वारा वादपत्र में र्गत भूमि आराजी ख0न0 75, 89, 134, 140 कुल किता 04 कुल रकबा 08–08 बीघा वाके ग्राम राधाकिशनपुरा बिना विधिवत् तकासमा कराये किसी भी तरह से किसी अन्य व्यक्ति को बेचान, दान, रहन, हस्तांतरण नही करे र ना ही प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी संख्या 02, 03 बावजूद तामिल नुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से धिवक्ता श्री कैलाश चौधरी ने वकालतनामा पेश किया व जवाब प्रस्तुत न कर सीधे बहस का निवेदन किया। मयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया की भूमि आराजी ख0न0 75, 89, 134, 140 कुल किता 04 कुल कबा 08–08 बीघा वाके ग्राम राधाकिशनपुरा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है, जो हिस्से अनुसार के पर काबिज है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात संयुक्त पैत्तृक अविभाजित आराजीयात है। जिसका आज दिन क विधिवत् तकास्मा नही हुआ है। मौके पर बाहमी रूप से मौके पर बंटवारा कर रखे है और बाहमी बंटवारा नुसार वादी व प्रतिवादीगण के अपने हक हिस्से पर बहैसियत खातेदार मालिक, स्वामी के काबिज खातेदार चले ा रहे है। उपरोक्त आराजीयात का प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आपस में विधिवत् रूप से तकासमा नही होने के ारण उक्त आराजीयात के सीमाओ में प्रार्थी व प्रतिपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इसलिए उक्त आराजी से प्रतिपक्षीगण बिना तकासमा कराये रहन, दान, बेचान एवं खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। यदि प्रतिपक्षीगण ना विधिवत् तकास्मा के यदि रहन, दान, बेचान एवं खुर्द बुर्द करते है, तो प्रार्थी को अपार व अपरिमित नुकसान गा और इससे वह अपने जायज हक से महरूम रह जायेगा। मौके पर लडाई झगडा होने की संभावना प्रबल हो

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with ACE Scanner

है। इस कारण अविभाजित संयुक्त खातेदारी की भूमियो का बतौर राजस्व रिकॉर्ड के अंकन विधिवत् तकासमा या जाना आवश्यक है। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्ट्या सुदृढ है तथा सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल सिद्ध है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वे स्वयं जरिये, एजेन्ट, नौकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दीगर व्यक्ति के द्वारा वादपत्र में वर्णित भूमि आराजी न0 75, 89, 134, 140 कुल किता 04 कुल रकबा 08–08 बीघा वाके ग्राम राधाकिशनपुरा का बिना विधिवत् तसमा कराये किसी भी तरह से किसी अन्य व्यक्ति को बेचान, दान, रहन, हस्तांतरण नही करे और ना ही प्रार्थी कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया की प्रतिपक्षी संख्या 01 घीसी पत्नि चतुर्भुज ने दिनांक 15.05.2018 को विवादित आराजीयात में से प्रतिपक्षी संख्या 02, 03 के नाम दर्ज भूमि ख0न0 75 का हिस्सा 2/3 अंत सम्पूर्ण तथा ख0न0 134 में से प्रतिवादी न0 02 का 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद लिया जिस पर प्रार्थीया काबिज होकर काश्त कर रही हैं। स्थगन की वजह से उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का अमल स्व रिकॉर्ड में नहीं हुआ हैं। अप्रार्थीया सद्भावी क्रेता है। प्रार्थीगण जानबूझकर हेरान, परेशान करने की नियत स्थगन आदेश प्राप्त किया है। प्रार्थी ने वाद दिनांक 28.05.2018 को प्रस्तुत किया है। जबकि विक्रय पत्र 15.05.2018 को हो चुका था। उक्त विक्रय पत्र नामान्तकरण को रूकवाने के उद्देश्य से तकास्मा का वाद प्रस्तुत किया विक्रयपत्र उपपंजीयक पीपलू द्वारा दिनांक 28.05.2018 को विधिवत् पंजीबद्ध किया गया हैं। जिसे अभी तक भी न्यायालय द्वारा शून्य घोषित नहीं किया गया हैं। इस कारण अप्रार्थी संख्या 01 को पाबंद नही किया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

:: आदेश ::

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सुनी नजीरे प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होती है। प्रार्थना पत्र व तहसीलदार पीपलू की तकास्मा रिपोर्ट तथा बहस अवलोकन अनुसार ख0न0 75, 89, 134, 140 कुल किता 04 कुल रकबा 08–08 बीघा वाके ग्राम राधाकिशनपुरा नामान्तकरण संख्या 391 बेचान व नामान्तकरण संख्या 392 हकत्याग भी आंशिक हुआ। नामान्तकरण अभी तक नहीं किया गया हैं। जाहिर हैं कि इस विभाजन के दावें में पक्षकारो द्वारा उक्त हकत्याग पत्र का उल्लेख नहीं गा गया है ओर ना ही विक्रय पत्र का उल्लेख किया गया है। इसके बाद प्रार्थी ने ख0न0 75, 89, 134, 140 किता 04 कुल रकबा 08–08 बीघा वाके ग्राम राधाकिशनपुरा का वाद बाबत् तकासमा आराजीयात मय थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है। यदि उक्त प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पक्षकारान् द्वारा राजीयात को खुर्द बुर्द, अन्तरण, हस्तान्तरण किया जा सकता है। जिससे वाद की बहुलता व जटिलता बढेगी वाद के विचारण में कई समस्याये उत्पन्न होगी। इसलिए उपरोक्त विवेचनानुसार अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा देश दिनांक 28.05.2018 ताफैसला वाद कन्फर्म किया जाता है एवं उभयपक्ष को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with ACE Scanner

Scanned with ACE Scanner

न्या जाता है की बिना विधिवत् तकासमा कराये उक्त वर्णित आराजीयात को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, दान, ान, हस्तांतरण एवं खुर्द बुर्द नही करे। राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिती बनाये रखे। निर्णय आज दिनांक 28.11.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो एवं नम्बर से म हो।

(अनिता कुमारी रावीक)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला (टोंक) (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)